दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2761392/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com

वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं आगे के लिये प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन पत्र

आनलाईन आवेदन करने की अंतिम दिनांक
27.12.2021 अपरान्ह 2.00 बजे तक

प्रबंधक (उद्यान)

M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
Panchanan, 3rd Floor, Malviya Nagar, Bhopal-462 003
Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagrohobpl@gmail.com
CIN No U01119MP19695GC001055

मुख्या/आर सी ओ/उद्यान/2021–22/4304 दिनांक 02.12.21

पंजीयन हेतु आमंत्रण सूचना

निगम द्वारा वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं आगे के लिये निगम द्वारा निम्नानुसार सामग्रियों के प्रदाय हेतु निगम द्वारा निर्धारित अर्हताऐं पूर्ण करने वाले प्रदायकों के पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है–

सामग्री का नाम	आर सी ओ प्रपत्र का मूल्य (जीएसटी सहित)	संकल्प धन राशि
प्रमाणित बीज (Certified seed) मसला बीज, सब्जी बीज	रू 5900/..	रू 1,00,000/–

पंजीयन आवेदन में निर्दिष्ट आर्हताएं पूर्ण करने वाले उत्पादक/प्रदायक से ई टेन्डरिंग के अन्तर्गत प्रस्ताव संकल्प धनराशि के साथ दिनांक 27.12.2021 को अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। विस्तृत जानकारी www.mptenders.gov.in तथा निगम की वेबसाईट http://mpagro.org पर उपलब्ध है। दस्तावेज www.mptenders.gov.in से अपलोड किए जा सकेंगे तथा इसी वेबसाईट पर डाउनलोड किए जाना हैं । पंजीयन के सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

प्रबंधक (उद्यान)

<u>प्रमाणित मसाला एवं सब्जी बीजों के प्रदाय हेतु पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन प्रपत्र व विस्तृत विवरण</u>

यह दस्तावेज निम्नानुसार कुल 20 पृष्ठ का है :

क्रमांक	विवरण	परिशिष्ठ क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
1	डिस्क्लेमर	परिशिष्ठ 1	5
2	पंजीयन की प्रक्रिया	परिशिष्ठ 1	5
3	कार्य के अवसर	परिशिष्ठ 1	5
4	ऑफरकर्ताओं को निर्देश	परिशिष्ठ 1	6
5	ऑफर की सामान्य शर्ते	परिशिष्ठ 2	7—12
6	तकनीकी योग्यता एवं दस्तावेज जो वेबसाईट पर अपलोड किया जाना आवश्यक है एवं लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियां	परिशिष्ठ 3	13
7	सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत की जानकारी	परिशिष्ठ 4	14
8	पंजीयन हेतु ऑफरकर्ता की आर्हता के संबंध में	परिशिष्ठ 5	15
9	वित्तीय ऑफर	परिशिष्ठ 6	16
10	अनुबंध का प्रारूप	परिशिष्ठ 7	17
11	**Authority to Sign and Registration Application (On Producer company's letterhead)**	परिशिष्ठ 8	18
12	रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु सहमति / घोषणा पत्र	परिशिष्ठ 9	19
13	ऑफरकर्ता का विस्तृत विवरण	परिशिष्ठ 10	20

निविदा में विभिन्न स्थानों पर जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनका तात्पर्य निम्नानुसार हैः–

निगम	दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि. पंचानन भवन, तृतीय तल,मालवीय नगर भोपाल
क्रयकर्ता विभाग एवं प्राप्तकर्ता	विभाग जिनके द्वारा सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
हितग्राही	कृषक/ विभाग जिसके लिये सामग्री क्रय के लिये आदेश दिया गया हो तथा प्राप्तकर्ता का अर्थ ऐसे विभागों के जिला/विकासखण्ड स्तर पर कार्यालय
आवेदन प्रपत्र/दस्तावेज	आवेदन पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का उल्लेख रेट कान्ट्रेक्ट प्रपत्र में किया गया है।
आवेदक/आफरकर्ता	आवेदक / आफरकर्ता जिनके द्वारा पंजीयन कराये जाने हेतु निगम की इस पंजीयन प्रक्रिया में भाग लिया गया हो
प्रदायक	ऐसे आफरकर्ता जिनके द्वारा निगम की पंजीयन प्रक्रिया में भाग लिया गया हो तथा चयन होने पर निगम के माध्यम से प्रदाय हेतु अनुबंध किया गया हो
संकल्प धनराशि (ई एम डी)	आफरकर्ता द्वारा पंजीयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जमा की गई राशि
धरोहर राशि	आफरकर्ता का निगम के साथ अनुबंध होने की दशा में संकल्प धनराशि (ई एम डी) की राशि के रूप में धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित हो जाएगी, जो पंजीयन आवधि तक निगम में जमा रहेगी तथा अनुबंध समाप्त होने पर पंजीयन आवेदन के प्रावधानों के अंतर्गत वापस की जा सकेगी।
विभाग	विभाग का आशय किसान कल्याण तथा कृषि विभाग एवं उद्यानिकी तथा अन्य को शासकीय विभागों से है
प्रबंध संचालक	प्रबंध संचालक से आशय निगम के प्रबंध संचालक से है

परिशिष्ट 1

1. **डिस्क्लेमर** – यद्यपि इस प्रपत्र को तैयार करने में पूर्ण सावधानियां बरती गई है तथापि प्रपत्र पूर्ण है इस बात की संतुष्टी आफरकर्ता स्वयं कर लेवें। प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तो के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति हो तो वह दिनांक 15.12.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक ई–मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजी जाए । प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तथा लिया गया निर्णय दिनांक 17.12.2020 को **www.mptenders.gov.in** एवं **http://mpagro.org** पर अपलोड किया जाएगा । दिनांक 15.12.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे के पश्चात् प्राप्त होने वाले सुझाव/आपत्ति को मान्य नहीं किया जाएगा तथा यह माना जाएगा कि रेट कान्ट्रेक्ट आफर की समस्त नियमों एवं शर्तो तथा अपलोड किए गए समिति के निर्णय से सहमत होकर आफरकर्ता द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रस्तुत किया गया है ।

2. **पंजीयन की प्रक्रिया** : पंजीयन हेतु आवेदन नियत तिथी तक ई टेन्डिरिंग पद्धति के माध्यम से आमंत्रित किये गये है। पंजीयन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार है–

प्रक्रियाओं का विवरण	नियत दिनांक
पंजीयन आवेदन का मूल्य	5900 (जीएसटी सहित)
संकल्प धन राशि	100000 (एक लाख मात्र)
पंजीयन आवेदन डाउनलोड किया जाना	दिनांक 2.12.12.2021 से दिनांक 26.12.2021 अपरान्ह् 1 बजे तक
पंजीयन आवेदन प्रपत्र की किसी भी नियम/शर्तो के संबंध में कोई सुझाव/आपत्ति को ई–मेल के माध्यम से mpagrohobpl@gmail.com पर भेजने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 15.12.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक
प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर समिति के निणर्य की जानकारी अपलोड किये जाने की तिथि	दिनांक 17.12.2021 को अपरान्ह् 2.00 बजे तक
आनलाईन आवेदन हेतु वेबसाईट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय	दिनांक 27.12.2021 अपरांह 2 बजे तक
आन लाईन आवेदन के कम में पंजीयन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति (हार्ड कॉपी) निगम मुख्यालय में स्थित निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	**दिनांक 28.12.2021 अपरान्ह् 5 बजे तक**
वेबसाईट पर अपलोड किये गये तकनीकी दस्तावेजों को खोला जाना	दिनांक 28.12.2021 अपरान्ह् 3.30 बजे

निगम की पंजीयन प्रकिया ओपन ऐडेड है अतः निगम के माध्यम से प्रमाणित सब्जी व मसाला बीजों के प्रदाय हेतु इच्छुक आवेदक जो वांछित अर्हताऐं पूर्ण करते हो उपरोक्त तिथि के उपरांत भी आवेदन कर पंजीयन करा सकते है। के प्रावधान के अनुसार आवेदन कर

3. **कार्य के अवसर** : यह निगम किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी एवं शासन के अन्य विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आदानों का प्रदाय प्रदेश के सभी जिलों में स्थित निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से करता है। विभिन्न योजनाओं में लगने सब्जी एवं मसाला बीजों का व्यवसाय निगम के माध्यम से संभावित है किन्तु व्यवसाय की मात्रा निर्धारित नही है। निगम द्वारा समय समय पर ऐसी प्राप्त होने वाली मांग के विरूद्ध सब्जी व मसाला के प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हेतु योग्य/ पंजीयन आवेदन में निर्दिष्ट अर्हताओं को पूर्ण करने वाले प्रदायका पंजीयन किया जाना है। निगम को इन सामग्रियों की मांग प्राप्त होने की स्थिती में निगम पंजीयन आवेदन के प्रावधान के अनुसार दरें आमंत्रित कर सामग्री की प्रदायगी कर सकेगा।

4. **आफरकर्ता को निर्देश :** सभी आवेदकों से वांछित है कि वे इस प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ का तथा इसमे वर्णित शर्तो को सावधानीपूर्वक अध्ययन करे ।**नियत तिथि तक** पंजीयन आवेदन पत्र में दिये गये निर्देशानुसार ऑफर को वेबसाईट पर अपलोड करे। यदि ऑफरकर्ता द्वारा नियत तिथि तक आन लाईन ऑफर अपलोड नही किया जाता है तथा केवल हार्ड कापी ही प्रस्तुत की जाती है तो ऐसे ऑफर को मान्य आन लाईन प्रक्रिया में अंतर्गत मान्य नही किया जाएगा। ऐसे आवेदक ओपन ऐंडड प्रक्रिया में आवेदन दे सकते है।

पंजीयन आवेदन प्रपत्र में वर्णित आवश्यक प्रपत्रों को 600 डी पी आई के रिजाल्यूशन में जे पी जी अथवा पी डी एफ फार्मेट में अपलोड करे । अन्य किसी फॉर्मेट में अपलोड किये गये प्रपत्रों को मान्य नही किया जाएगा। यदि अपलोड किये गये प्रपत्र अपठनीय पाये गये तो आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड कापी को अंतिम मान्य किया जाएगा।

वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करते हुए तथा अपलोड किये गये प्रपत्रों की स्केन कापी दिनांक 27.12.2021 शाम 5 बजे तक निगम मुख्यालय में स्थित निविदा बॉक्स में प्रस्तुत करें। सभी ऑफरकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व समस्त आवश्यक कार्यवाहियां कर लें जिससे अंतिम तिथि के दिन सर्वर, नेट वर्क आदि की समस्याओं के कारण आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने से वंचित न हों । पंजीयन के सूचना में कोई संशोधन/परिवर्तन किये जाने की दशा में संशोधन/परिवर्तन की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित न करते हुए केवल उपर्युक्त पोर्टल/वेबसाईट पर दी जाएगी।

प्रबंधक उद्यान

आफर की सामन्य शर्ते

दिनांक वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से प्रमाणित सब्जी व मसाला बीजों के प्रदाय हेतु अर्हताओं की पूर्ती करने वाले प्रदायकों के पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र में आवेदकों की वांछित अर्हताऐं, प्रदाय शर्तो का विवरण, भुगतान की प्रकिया आदि का विवरण उल्लेखित है। पंजीयन आवेदन पत्र को अनुबंध का हिस्सा मान्य किया जावेगा।

सामाग्री की प्रदायगी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से विकासखण्ड स्तर तक पहुंचाकर की जाना होगी। निगम द्वारा निर्धारित अर्हताऐं परिष्ठ कं ..... पर दर्शित है। आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले/ वेबसाईट पर अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की जानकारी **परिशिष्ट कमांक 3**, ऑफरकर्ता को ऑफर प्रस्तुत करने के लिये सामान्य **निर्देश परिशिष्ट कमांक 4** तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्रियों के मापदण्ड **परिशिष्ट 5** पर पर संलग्न हैं ।

पंजीयन से संबंधित सामान्य शर्ते निम्नानुसार हैं :–

1. **ऑफर प्रस्तुत करने की आहर्ता**

   प्रदाय के लिये ऑफरकर्ता की आर्हताएं **परिशिष्ट कमांक 6** अनुसार रहेंगी।

2. **पंजीयन की आन लाईन प्रकिया –**

   2.1 पंजीयन हेतु आन लाईन आवेदन www.mptenders.gov.in पोर्टल पर किया जाना है। इस हेतु आवेदक के पास क्लास 3 डिजीटिल सिग्नेचर होना आवश्यक है। पंजीयन आवेदन सुविधा की दृष्टि से निगम की बेब साईट mpagro.org पर भी उपलब्ध है।

   2.2 इच्छुक आवेदक उक्त पोर्टल पर पंजीयन आवेदन के मूल्य (जीएसटी सहित)का भुगतान कर आवेदन पत्र क्रय कर सकते हैं

   2.3 निर्दिशष्ट संकल्प धन राशि आनलाईन जामा करते हुये आफरकर्ता को अर्हता के संबंध में परिशिष्ठ कं 4. में दिये गये विवरण अनुसार दस्तावेज अपलोड किये जाने है।

   2.4 निगम द्वारा यह आवेदन योग्य प्रदायकों के चयन हेतु आमंत्रित किये जा रहें है। पंजीयन हेतु आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करते समय दर प्रपत्र में दरें प्रस्तुत नहीं की जानी है। यदि पोर्टल की आवश्यकता के कारण दरें प्रस्तुत की जाना आवश्यक को तो प्रदायक छदम दरें (Dummy Rate) प्रस्तुत की जावें इन दरों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा।

   2.5 आनलाईन पंजीयन हेतु तिथियों का विवरण पृष्ठ कं 5 पर प्रदर्शित है।

3. **ओपन ऐंडेड प्रकिया के अंतर्गत पंजीयन** – निगम द्वारा आमंत्रित पंजीयन आवेदन ओपन ऐडेड है। आनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकने वाले आवेदक ओपन ऐंडड प्रक्रिया में आवेदन प्रस्तुत कर सकते है।

   3.1 पंजीयन आवेदन में निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आफरकर्ता निगम के प्रबंध संचालक को पंजीयन कराये जाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत करेगें। आवेदन के साथ पंजीयन आवेदन में वांछित समस्त दस्तावेज की स्वप्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जावेगी।

   3.2 आवेदन पत्र के साथ वांछित धरोहर राशि (वापसी योग्य) व पंजीयन आवेदन प्रपत्र के मूल्य (जीएसटी सहित) (वापसी योग्य नहीं) के बराबर राशि का डिमांड ड्राफ्ट (पृथक– पृथक) बना कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने होंगे।

   3.3 आवेदन पत्र के साथ ओपन ऐडेड प्रक्रिया में भाग लिये जाने के संबंध में प्रोसेसिंग फीस के रूप में निगम द्वारा राशि रू 10000 (दस हजार मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट (पृथक) बना कर आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाना होगा (वापसी योग्य नहीं)।

   3.4 निगम द्वारा प्रत्येक माह की 30 तारीख तक प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की जायेगी। प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर योग्य पाये आफरकर्ताओं को निगम अनुबंध हेतु आमंत्रित कर सकेगा। अयोग्य पाये गये आवेदनों को निगम निरस्त मान्य कर धरोहर रशि का डिमांड ड्राफ्ट वापस करेगा।

4. **<u>दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्तें–</u>** निगम आवश्यकता अनुसार प्रमाणित सब्जी एवं मसाले बीजों की आन लाईन दरें mptenders.gov.in पर आमंत्रित की जावेगीं। इस हेतु निविदा सूचना जारी कर पंजीकृत प्रदायकों को ई मेल के माध्यम से सूचित किया जावेगा। इस निविदा में केवल पंजीकृत प्रदायाकों की दरों को ही मान्य किया जावेगा तथा यह निविदा सीमित निविदा कहलाऐगी। निगम में पंजीकृत ऐसे प्रदायक जिनके पास वांछित मसाले / सब्जी का प्रमाणित बीज उपल्बध हो वह आवश्य दस्तावेज प्रस्तुत करते हुये आन लाई दरें प्रस्तुत कर सकते है।

4.1 ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी, वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विकासखण्ड स्तर तक एफ.ओ.आर. एवं सभी प्रकार के व्यय/कर सहित होगी ।

4.2 दरें प्रस्तुत करते समय वांछित अंतिम बीज प्रमाणपत्र तकनिकी निविदा में प्रस्तुत करना अनिवार्य हैं जो आवश्यक मात्रा की कम से कम 50 प्रतिशत मात्रा की उपलब्धता के बराबर हो। आवश्य मात्रा से कम मात्रा के अंतिम बीज प्रमाण पत्र होने पर आफर को स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं तकनीकी आधार पर आफरकर्ता के प्रस्ताव को अमान्य किया जावेगा।

4.2 ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की जावेगीं वह पंजीयन आवेदन की शर्त क्रमांक 20 के तहत् न्यूनतम होना आवश्यक है ।

4.3 ऑफरकर्ता द्वारा दरें आनलाईन पोर्टल पर दी जाना आवश्यक है। अन्य माध्यमों से दी गई दरों को विचार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा।

4.4 प्राप्त दरों पर सामन्यतः किसी प्रकार का निगोशियेशन नहीं किया जावेगा। तथापि आवश्यकता होने पर निगम के प्रबंध संचालक निगम द्वारा निर्धारित दरों का प्रतिप्रस्ताव न्यूनतम दर देने वाले प्रदायक को दे सकतें है।

4.5 दर देने वाले प्रदायक के पास निविदा में वर्णित आवश्यक मात्रा से कम से कम 50 प्रतिशत तक की मात्रा होना आवश्यक है। यदि प्रदायक की दरें न्यूनतम प्राप्त होती है तथा वह आवश्यकतानुसार पूर्ण मात्रा का प्रदाय करने में सक्षम है तो निगम पूर्ण मात्रा का क्रय न्यूनतम दर देने वाले प्रदायक से कर सकेगा।

4.6 यदि न्यूनतम दर देने वाले प्रदायक के पास आवश्यकता अनुसार पूर्ण मात्रा नहीं है तो निगम द्वितीय न्यूनतम (L2) दर देने वाले प्रदायक से प्रथम न्यूनतम दर (L1) दर पर शेष मात्रा क्रय कर सकता है।

4.7 यदि L-2 दर देने वाले प्रदायक L1 दरों पर प्रदाय हेतु सहमत नहीं होते है तो निगम शेष मात्रा के क्रय हेतु नवीन निविदा आमंत्रित करने हेतु स्वंतंत्र रहेगा।

4. **<u>ऑफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया</u>**

(अ) **वेबसाईट** www.mptenders.gov.in से डाउनलोड किये गये पंजीयन आवेदन प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ को हस्ताक्षरित करते हुए अर्हताओं से संबंधित वांछित दस्तावेज अपलोड किया जाना एवं हार्ड कॉपी निगम मुख्यालय में निर्धारित समय एवं तिथि तक प्रस्तुत की जाना आवश्यक होगी। ई निविदा पद्धति के अन्तर्गत अपलोड किये गये दस्तावेज अपठनीय होने की दशा में ऑफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई हार्ड प्रति को अंतिम मान्य किया जाएगा।

(ब) एक ऑफरकर्ता से एक ही ऑफर स्वीकार किया जाएगा।

(स) पंजीयन प्रपत्र में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज संलग्न किया जाना आवश्यक है। वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में आफरकर्ता के आफर को निरस्त किया जावेगा।

(द) "प्रमाणित सब्जी/ मसाला बीजों के प्रदाय हेतु तकनीकी विवरण " अंकित करते हुये वांछित दस्तावेजों को लिफाफा रख में आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। लिफाफा में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजो का विवरण परिशिष्ठ क्रमांक 3 पर सलग्न है।

5. बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी अंतिम बीज प्रमाणपत्र से संबंधित फसलों हेतु वर्ष उत्पादित बीज उत्पादन को ही मान्य किया जाएगा । (नियमानुसार रिवेलीडेटेड प्रमाणित बीज स्वीकार किये जाएगें)। आफरकर्ता जो दर प्रस्तुत कर रहे है, के पास अंतिम बीज प्रमाणपत्र होना आवश्यक है।

6. **सशर्त** पंजीयन आवेदन अमान्य किया जाएगा । निगम द्वारा पंजीयन आवेदन प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नही की जावेगी। सशर्त आफर को अमान्य किया जावेगा ।

7. **संकल्प धन राशि :**

7.1 पंजीयन आवेदन के साथ वांछित संकल्प धन राशि **प्रस्तुत करना आवश्यक है।** संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर को अमान्य किया जायेगा।

7.2 पूर्व में निगम में जमा संकल्प धनराशि/धरोहर राशि को इस रेट कान्ट्रेक्ट आफर के अन्तर्गत मान्य/समायोजित नही किया जाएगा।

7.3 **संकल्प धनराशि को जप्त किया जाना** संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

1. निगम द्वारा आफरकर्ता के पंजीयन आवेदन को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. आफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

8. **धरोहर राशि :**

(अ) आफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि आफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी।

(ब) अनुबंध की प्रभावशीलता **अवधि समाप्त होने के बाद** कोई विवाद न होनें की दशा में आफरकर्ता द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी।

(स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :–

(1) निगम आदेश के विरूद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाने पर ।

(2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मांपदण्डों के अनुरुप न होनें की दशा में

(3) आफरकर्ता द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करनें पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

(4) निगम के प्रबंध संचालक के निर्णयानुसार

9. **ऑफर की वैधता :**

वित्तीय आफर ऑफर खोले जाने की तिथि से सामान्यतः 30 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया गया हो ।

10. **पंजीयन आवेदन/ आफर का खोला जाना**

आवेदन /आफर जो दिनांक 27.12.2021 तक वेबसाईट पर अपलोड किये गये है, ऐसे आफरकर्ता के तकनीकी योग्यता संबंधी आनलाईन आफर व लिफाफे में प्राप्त दस्तावेज दिनांक 28.12.2021 अपरान्ह 3.30 बजे खोला जाएगा। पंजीयन आवेदन खोले जाते समय आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधिय नियत तिथि पर उपस्थित हो सकते है।

11. **अनुबंध का निष्पादन–**

(अ) जिन आफरकर्ता(ओं) को तकनीकी आधार पर पंजीयन हेतु योग्य माना गया है को निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क. 9,10) में **राशि रूपये 1000/–** के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है।

(ब) निगम द्वारा योग्य पाये गये आफरकर्ताओं को अनुबंध हेतु पत्र/ ईमेल के माध्यम से सूचना देते हुये निर्धारित अनुबंध किये जाने हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(स) निगम द्वारा इस आशय की सूचना देने पर पत्र जारी होने की तिथि के 15 दिवस में अनुबंध हस्ताक्षरित कर नोटराईज कराते हुये प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। निश्चित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले अनुबंध को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार निगम के प्रबंध संचालक के पास रहेगा।

(द) निगम से अनुबंध निष्पादित किये जाने के पश्चात **आफरकर्ता को प्रदायक कहा जायेगा**

12. पंजीयन वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं आगे की अवधि के लिये लागू है। अर्थात नवीन आन लाईन पंजीयन आवेदन आमंत्रित कर नवीन अनुबंध होने तक मान्य रहेंगें।

13. **प्रदाय की प्रकिया** –

(अ) निगम कें प्रबंध संचालक द्वारा आदेश जारी करने हेतु अधिकृत जाने पर निगम मुख्यालय में विभाध्यक्ष/ क्षेत्रिय प्रबंधक / जिला प्रबंधक प्रदायक को प्रदाय आदेश जारी कर सकेगें

(ब) प्रदाय आदेशानुसार निर्धारित अवधि में तथा आदेशित मात्रा के अनुसार निर्धारित मापदण्ड की सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा किया जाना आवश्यक है।

(ब) वांछित मात्रा में बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा की गई पैकिंग के अनुसार ही प्रदाय किया जाना आवश्यक है।

(स) सामग्री की गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी । किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा निरीक्षण कर शिकायत का निराकरण किया जाएगा। उपयोगकर्ता को उनके नुकसान की नियमानुसार भरपाई भी प्रदायक करेगा।

(द) बीज के प्रकरण में निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बावजूद भी निम्न परिस्थितियों में संबंधित लाट अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को रहेगा –

1. बीज भीगा होने पर
2. प्रदायित बीज अशुद्ध होने पर
3. बीज घुना होने की दशा में
4. वांछित पैकिंग में न होने अथवा पैकिंग खुली/फटी होने की दशा में

14. **बिना आदेश** के कोई भी सामग्री का प्रदाय मान्य नही किया जाएगा तथा प्रदायक यदि ऐसा करता है तो ऐसे प्रदाय की समस्त जिम्मेदारी प्रदायक की होगी तथा ऐसे प्रदाय के लिये प्रदायक द्वारा जारी देयक के भुगतान के लिये निगम जिम्मेदार नही होगा।

15. **सामग्री के प्रदाय हेतु निर्धारित प्रकिया एवं समय सीमा**

(अ) प्रदायक द्वारा निगम के आदेशानुसार अधिकतम 15 दिवस के अंदर सामग्री प्रदाय करनी होगी। आवश्यकता अनुसार यह समय–सीमा घटाई भी जा सकती है ।

(ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।

(स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में ऐसी सामग्री के कन्साइनमेंट को प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा।

(द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की धरोहर राशि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे प्रदायक द्वारा मान्य करना होगा। साथ ही निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जमा धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।

16 **आदेश की प्रकिया :**

(अ) विभिन्न विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश परिशिष्ट क्रमांक 5 में उल्लेखानुसार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

(ब) सामग्री की प्रदायगी निगम के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाना आवश्यक होगी। सामग्री का प्रदाय प्रदायक द्वारा सीधे विभाग को नही किया जाएगा।

(स) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित की गई प्रदायगी की तिथि/स्थल के संबंध में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो उसकी विधिवत सूचना प्रदायक को दी जावेगी तथा प्रदायक द्वारा परिवर्तित आदेश/सूचना के अनुसार आदेशित सामग्री प्रदाय करना आवश्यक होगी। उक्तानुसार परिवर्तन होने की दशा में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नही किया जावेगा ।

(द) परिवहन के दौरान आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से सामग्री को हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी। इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई प्रदायक द्वारा ही पूरी की जाना होगी ।

17. कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार :

आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड/पैकिग/समय सीमा में सामग्री प्रदायक द्वारा प्रदाय किया जाना आवश्यक है। निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है :-

(अ) उचित/निर्धारित पैकिग न होने की दशा में ।

(ब) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त होने की दशा में ।

(स) बीजों के लिये शर्त क्र 14 (द) मे उल्लेखित परिस्थितियों में ।

यदि उक्त कारणो के आधार पर कन्सानइमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा। किसी भी स्थिति में निगम कन्साइनमेंट वापिस होने से हुए नुकसान के लिए उत्तरदायी नही रहेगा ।

18. भुगतान :

निगम द्वारा "भुगतान पश्चात् भुगतान" की शर्त अनुसार निगम मुख्यालय द्वारा/क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने की दशा में मुख्यालय स्तर से/निगम के संबंधित जिला कार्यालयों से निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

(अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार केता विभाग से पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों एवं प्रदायकर्ता के संयुक्त हस्ताक्षयुक्त पावती/भौतिक सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने एवं देयक की राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।

(ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा जारी किया गया संतुष्टि प्रमाण पत्र (निगम के निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार प्राप्तकर्ता विभाग और निगम के अधिकारियों की संयुक्त हस्ताक्षयुक्त संतुष्टि प्रमाणप पत्र की रिपोर्ट के आधार पर) प्राप्त होने पर किया जावेगा।

19. प्रदायक द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की है वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक है। निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक प्रदायकों द्वारा अनुमोदित दरों से कम दर पर अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासकीय विभाग या उपकम को प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा निगम के साथ किये गये अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही कम दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली प्रदायक के भुगतान हेतु लंबित देयकों से की जावेगी। साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेगें।

20. आफरकर्ता/प्रदायक द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर प्रपत्र को पूर्णतः एवं भली-भांति पढ़ लिया गया है एवं वे सभी शर्तो पर सहमत है।

21. रेट कान्ट्रेक्ट आफर के तहत निर्धारित शर्तो के उल्लंघन पाये जाने की दशा में अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी/दस्तावेज दिए जाने की दशा में प्रबंध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/ निगम द्वारा स्वीकृत आफर को निरस्त करने एवं आफरकर्ता द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि को जप्त करने के अधिकारी होंगे। साथ ही संबंधित प्रदायक को निगम के माध्यम से 1 से 3 वर्षों तक के लिये प्रदायगी से वंचित भी किया जा सकता है । इस संबंध में प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

22. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक द्वारा नियमानुसार समय–सीमा में कार्यवाही की जाना होगी।

23. यदि आवश्यक हुआ तो निगम द्वारा नामांकित अधिकारी किसी भी कार्य–दिवस में आफरकर्ता के प्रतिष्ठान/उत्पादन स्थल/गोडाउन का निरीक्षण कर सकेगे।

24. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के महाप्रबंधक (उद्यान) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को प्रस्तुत किया जावेगा।

25. विवाद की स्थिति में वाद का क्षेत्र भोपाल न्यायालय होगा।

26. निगम के प्रबन्ध संचालक रेट कान्ट्रेक्ट आफर की किसी भी शर्त में अनुबंध निष्पादन के पूर्व परिवर्तन करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

प्रबन्धक (उद्यान)

तकनीकी योग्यता, दस्तावेजों का विवरण जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा लिफाफा 1 में प्रस्तुत किया जाना है का विवरण

कमांक	विवरण
1	बीज प्रमाणिकरण संस्था में वेध पंजीयन
2	मध्यप्रदेश में उद्यानिकी फसलों के लिये उद्यानिकी विभाग (सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अन्तर्गत) तथा कृषि फसलों हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विभाग द्वारा जारी द्वारा जारी बीज विकय का वैध लायसेंस जिसमें उत्पादक का नाम अंकित हो ।
3	आफरकर्ता फर्म का आयकर नम्बर (PAN)
4	विकय कर विभाग द्वारा जारी जी.एस.टी.नंबर (G.S.T.N.)
5	आफरकर्ता द्वारा परिशिष्ट 09 के अनुसार राशि रू 500/— के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर अन्डरटेकिंग
6	डाउनलोड किये गये रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर उपरांत आफरकर्ता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षरित आर सी ओ प्रपत्र अपलोड किया जाना है (पृष्ठ कं. 1 से 22 तक तथा परिशिष्ट 1 से 10 तक)

अपलोड किये जाए व हार्ड कापी में प्रस्तुत किये जावें

सामग्री के मापदण्ड, आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य, संकल्प धनराशि एवं आदेश जारी करने के लिए अधिकृत की जानकारी

1. इस आर सी ओं के अन्तर्गत मैथी, धनिया, लहसून, हल्दी, अदरक, आलू एवं प्याज ब अन्य के प्रमाणित बीजों की दरें आमंत्रित की गई है।
2. सामग्री के मापदण्ड – आमंत्रित की गई दरें प्रमाणित बीजों से संबंधित हैं, अतः केवल उन्हीं प्रमाणित बीजों की दरें मान्य की जाएंगी जिन बीजों के उत्पादन के लिये आफरकर्ता द्वारा बीज प्रमाणीकरण में पंजीयन कराया गया हो तथा उत्पादित प्रमाणित बीजों के अंतिम बीज प्रमाण पत्र ऑफरकर्ता के पास उपलब्ध हो। अंतिम बीज प्रमाण पत्र में उल्लेखित मात्रा की सीमा तक ही बीज उपलब्ध होने की दशा में आदेश जारी किए जा सकेंगे । रबी फसलों से संबंधित बीजों हेतु ऑफरकर्ता को उत्पादन कार्यक्रम के बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा सत्यापित प्रति (यदि अंतिम बीज प्रमाण पत्र नहीं है तो) उपलब्ध करानी होगी तथा ऐसे बीजों की दरें केवल अंतिम बीज प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने पर ही मान्य की जाएंगी ।
3. **आर.सी.ओ. प्रपत्र मूल्य –** राशि रूपये 5,900.00 (रूपए पांच हजार नौ सौ मात्र) *
4. **संकल्प धन राशि –** राशि रूपए 1,00,000.00 (रू एक लाख मात्र) *

   * कमांक 3 एवं 4 में उल्लेखित राशि आन लाईन जमा करना है।

अ पंजीयन हेतु ऑफरकर्ता की आर्हता

1. आफरकर्ता निजी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत लिमिटेड/ प्रा लि/ पब्लिक लिमिटेड कंपनी/ सहकारी समिति जो म.प्र में बीजों के विक्रय हेतु वैद्य लायसेंस धारक हो।
2. आफरकर्ता के पास पेन व जीएसटी नंबर होना आवश्यक है।
3. ऑफरकर्ता का बीज प्रमाणिकरण संस्था में वेध पंजीयन होना आवश्यक है।
4. आफरकर्ता द्वारा स्वंय के नाम से प्रमाणित बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम लिया जाता हो।

ब प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु बीज विशेष के संदर्भ में अर्हता

निगम द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार प्रमाणित बीजों के प्रदाय हेतु पंजीयकृत प्रदायकों से आनलईन निविदा आमंत्रित की जा सकेगी। निगम द्वारा ऐसे पंजीकृत प्रदायकों से आनलईन दर प्रस्ताव आमंत्रित करते समय चाहे गये बीज/ बीज प्रजातियों के संबंध में निम्नानुसार दस्तावेज तकनीकी आफर में प्रस्तुत किये जाने होंगें–

1. जिस बीज /बीज प्रजाती हेतु दरें आमंत्रित जावेगी से संबंधित ''अंतिम बीज प्रमाण पत्र'' जो बीज प्रमाणिकरण संस्था द्वारा आवेदक /पंजीकृत संस्था के पक्ष में द्वारा जारी किया गया हो की स्वप्रमाणित प्रति।
2. बीजों की मात्रा जो निगम के माध्यम से प्रदाय हेतु उपलब्ध कराई जा सकेगी का विवरण अपलोड किया जावेगा।

प्रबंधक (उद्यानिकी)

परिशिष्ट 6

दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल
31.07.2022 एवं आगे के लिये

वित्तीय आफर का प्रारूप (FANANCIAL OFFER) (FOR Discription Only))

01. NAME OF THE OFFERER ....

PRICE SCHEDULE (FINANCIAL BID)

Sl. No.	Item Description	VARIETY	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder in Rs. P	GST AMOUNT	TOTAL AMOUNT Without Taxes in Rs. P	TOTAL AMOUNT With Taxes	TOTAL AMOUNT In Words
1	2	3	4	5	13	15	53	54	55
CERTIFIED VEGITABLE AND MASALA SEED									
1.01	FENUGREEK		1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
1.02			1.000	KG					
			1.000	KG					
	CORIANDER		1.000	KG					
1.03			1.000	KG			0.00	0.00	INR Zero Only
			1.000	KG					
1.04			1.000	KG			0.00	0.00	
			1.000	KG					

उपरोक्त फार्मेट आफरकताओं की जानकारी के हेतु दर्शित है। दरें निगम द्वारा निविदा आमंत्रित किये जाने पर आनलाईन पोर्टल उचजमदकमतेण्हवअण्पद पर दिये गये फार्मेट में प्रस्तुत की जाना होंगी। पंजीयन के समय आफरकर्ता पोर्टल की आवश्यकता के कारण डमी दरें प्रस्तुत करेंगें उल्हें विचाार क्षेत्र में नहीं लिया जावेगा।

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

:: अनुबंध ::

(निगम द्वारा ऑफर मान्य करने की दशा में सूचित किए जाने पर राशि रू. 1000.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज करवाकर प्रस्तुत किया जाना है)

यह अनुबंध आज दिनांक .... को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे ''निगम'' कहा जावेगा एवं मेसर्स .... की ओर से श्री .... जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगी के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्व ारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर प्रमाणित सब्जी व मसाला बीज_प्रदाय हेतु दिनांक .... को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तो को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंटस अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक .... दिनांक .... से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत् कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन प्रमाणित सब्जी बीजों हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट 3 ''अ'' पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तो अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्ते एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होगें । शर्तो एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्ते ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक ....
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्ते अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

हस्ताक्षर प्रदायक	हस्ताक्षर उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

1.

2.

परिशिष्ठ कमांक 8

Authority to Sign and Registration Application
(On Producer company's letterhead)

To,

The Managing Director

M.P.State Agro Industries Development Corporation Ltd.

Panchanan Bhawan, 3rd Flore ,

Malviya Nagar,

Bhopal

Sub : Authority to submit Rate Contract Offer

Dear Sir,

I………………………………………………………Designation .... hereby authorize Shri …………………………………………………Designation …….……………to submit application for registration for supply of certified seeds M.P. State Agro Industries Corporation Ltd on behalf of the company.

We hereby undertake that the Company shall abide by all the terms and conditions as mentioned in Tender Document.I further certify that I am authorized to issue this certificate on behalf of the company.

Signature

(Issueing Person)

Name

Designation

(Signature Authorised Person)

Name

Designation

Verification by Issueing Person

- To be submitted in original.
- In Case of Company it should be supported with board resolution

वर्ष 2020–21 में निगम के माध्यम से प्रमाणित बीज के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रेक्ट आफर बाबत् सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैं ....मेसर्स ....की ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित रेट कान्ट्रेक्ट आफर में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । मेसर्स ....द्वारा जारी अधिकार पत्र की मूल प्रति संलग्न है। निगम के रेट कान्ट्रेक्ट आफर में उल्लेखित शर्तो के अनुसार .... के बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तो एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी शर्तो से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की शर्तो का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये ..../– एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये ..../– प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में में धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट आफर की सभी नियम एवं शर्तो को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तो पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

आफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

.... (हस्ताक्षर)

....

नाम एवं पता

(रूपये 500.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर टंकित एवं नोटराइज्ड कराकर प्रस्तुत करना है)

THE M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
PANCHANAN, III FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL

DETAILS OF THE OFFERER

1	Name of Individual Offerer State Private or Public Limited / Co-operative Institution.	------------------------------------ -----------------------------------
2	Complete Postal address of the individual Offerer including name of Principal Officer/Person /Chairman/Managing Director	-----------------------------
	PHONE NO. Fax. No.	Office : Mobile : E-mail___________
3	E mail address	
4	Particular of the Registration certificate issued	Registration No. Date________________
5	GST Registration number.	
6	**Name/Names of Proprietors / Partners/Directors including full address (enclose partnership deed/ Memorandum & Articles of Association/ Society Registration (as the case may be).**	
7	Name and address of Bankers with Telephone Numbers along with bank account no of offerer	Name of the Banker Name of the Branch Tel.No. Bank Account No
8	State whether Producer / Distributor / Dealer.	____________
9	Whether Debarred or penalized by any Central/State govt. organization at any time If the reply is yes, when & why give proper details (use separate sheet, if required).	Yes / No.
10	**Have you ever supplied any item to this Corporation, If yes, give details of item and year of supply.**	-----------------------
11	Do you have any associate company(s)?	------------------------
12	**Do your Directors / Partners have interest in some other Offerer/ Society. If yes, give details.**	----------------------
13	Is any of your relative working or serving in this Corporation in any capacity?	---------------------
14	Are you having any branch office? If yes, please give details of address, Telephone No. Fax No. etc.	---------------------

नोट– सुस्पष्टता के लिये जानकारी टाईप करके प्रस्तुत की जाये।

Signature of Offerer